

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ: 9-10/2013/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 1/12/2013

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-नवीन अंशदायी पेंशन योजना में हुये कटौती को सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) में समायोजित करने बाबत ।

संदर्भ:-म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ: 9-10/2013/नियम/चार, भोपाल दिनांक 11.12.2013


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञाप दिनांक 11.12.2013 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है । पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक PFRDA/2013/2.S.L.-1 दिनांक 22 जनवरी 2013 के अनुक्रम में ऐसे अभिदाता जिनका नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत कटौती किया जा रहा है एवं वास्तव में वह इस योजना के सदस्य नहीं है को अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती की राशि को अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाते में तथा राज्य शासन के अंश को राज्य शासन के खाते में जमा किया जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. अभिदाता का आवेदन पार्ट 'ए' (संलग्न) में कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त किया जाकर पार्ट 'बी' (संलग्न) में प्रमाणीकरण किया जावेगा । अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाता संधारित होना आवश्यक है जिसकी प्रविष्टि आवेदन में वांछित स्थानों पर की जायेगी । उक्त दोनों अभिलेखों को संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी, संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल को प्रेषित करेंगे ।
2. संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल अभिदाता का आवेदन तथा कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण क्रमशः पार्ट-ए तथा पार्ट-बी में प्राप्त होने पर Error Rectification Module (ERM) में भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे ।
3. Error Rectification Module (ERM) में संचालक पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल के अनुमोदन पश्चात् संबंधित अभिदाता के कटौती की राशि तथा लाभांश संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल द्वारा इस हेतु संधारित बैंक खाते में प्राप्त करेंगे ।

4. संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल के खाते में प्राप्त राशि के दो बराबर बराबर भाग किये जायेंगे । प्रथम भाग (अभिदाता का नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत अंशदान तथा उस पर लाभांश) मुख्य लेखा शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि, उप लघु शीर्ष 01-सिविल, लघु शीर्ष 101-सामान्य भविष्य निधि में चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा । प्रत्येक अभिदाता हेतु पृथक पृथक चालान उपयोग में लाया जायेगा । जमा राशि के साथ अभिदाता का विवरण महालेखाकार, संबंधित कार्यालय प्रमुख तथा अभिदाता को भेजी जायेगी । महालेखाकार अभिदाता के विवरण तथा जमा राशि के चालान के आधार पर अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाते में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे । द्वितीय भाग अर्थात् राज्य शासन द्वारा जमा किया गया अंशदान तथा उस पर उपर्जित लाभ राज्य शासन के प्राप्ति खाते में मुख्य शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत चालान के माध्यम से कोषालय में जमा किया जायेगा ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(अनिरुद्ध मुखर्जी)
सचिव,

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल ।
- (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
- (3) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
- (4) सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
- (5) सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
- (6) सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- (7) निज सचिव/निज सहायक, समस्त मंत्री/मान्यता मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (8) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- (9) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- (10) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
- (11) महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर ।
- (12) महालेखाकार, (लेखा और हकदारी)/(ऑडिट)-1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
- (13) अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- (14) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय ।
- (15) आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
- (16) आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- (17) अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल ।
- (18) मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, भोपाल ।
- (19) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, मध्यप्रदेश ।
- (20) सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
- (21) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
- (22) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल ।
- (23) अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
- (24) सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी ।
- (25) गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

M

NPS-EWC	Withdrawal Request Ref No	Date;
CLAIMS FOR THE WIRTHDRAWAL OF ACCUMULATED PENSION WEALTH UNDER NEW PENSION SYSTEM OF NPS ACCOUNTS PERTAINING TO GOVERNMENT EMPLOYEES- ARISING DUE TO GOVERNMENT CLARIFICATION OF HAVING BEEN WRONGLY CLASSIFIED AS FALLING UNDER NPS BUT WHICH HAVE BEEN ACCEPTED AS FALLING UNDER PRE 01/01/2005 GPF-CUM PENSION SCHEME		

PART A-SUBSCRIBER REQUEST

To,
 ASSTT.VICE PRESIDENT,
 CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY,
 NSDL 4TH FLOOR, 'A' WING, TRADE WORLD,
 KAMALA MILLS COMPOUND,
 SENAPATI BAPAT MARG,
 LOWER PAREL(W),
 MUMBAI-400013

Subject:- Withdrawal of pension wealth for NPS account erroneously admitted in NPS but falling under GPF-cum-pension of Govt.

Dear Sir/Madam

I would like to inform that I have been erroneously admitted into NPS by our office and upon my representation government has decided that I will be covered as per the per 01/01/2005 GPF-cum-Pension scheme vide their approval letter vide ref _____ and dt. _____. I request you to withdrawl the accumulated pension wealth in my pension account and credit it to the bank account of Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal for making credit my NPS part into my GPF Account No----- and Government contribution in Government Head of Account with benefits accrued.

PRAN No:-----

*All other details should be automatically populated from the CRA system for the following entries
 Name of the Subscriber

Date of Birth:-----

PAO/DTO number/Number to which the Subscriber is mapped:

Declaration

I-----
 NPS Subscriber with PRAN Number-----do hereby
 declare that the information provided above is true to the best of my knowledge & belief

Date----- (DD/MM/YYYY)

Signature of the Subscriber

Place-----

*Signature should tally with the signature on PRAN card/NPS form.
 Note:- Copy of the approval letter from the Government(Order by which the subscriber has become regular employee with GPF contribution) must be attached with the print out of this form at the time of providing it to Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal. The Proof for opening of GPF account No of the subscriber must be attached with the application.

15

PART : B CERTIFICATION BY DRAWING AND DISBURSING OFFICER

We confirm that the Mr/Mrs/Ms-----with PRAN/PPAN No-----has been erroneously admitted into NPS from our office instead of being covered under pre 01/01/2005 GPF-cum-Pension scheme as submitted by the subscriber. We request you to withdraw the accumulated pension wealth held in subscribers pension account and credit it to the bank account of Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal.

Disclaimer:- We understand that contribution amount for the above was invested in NPS and the amount redeemed may be higher or lower from the total contribution amount invested in NPS depending on the NAV movement and the same will be transferred to bank account of Director Pension, Provident Fund and Insurance, Kishan Bhawan Bhopal for making credit subscriber NPS part in to subscriber GPF Account No----- and Government contribution in Government Head of Account with benefits accrued.

Yours Faithfully

(Signature of PAO/DTO)

PAO/DTO Name

DDO Registration No

Date

Place